

‘राजभाषा पखवाड़ा 2024’



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

फा.सं.- रा.भा./239/2024-राजभाषा

दिनांक : 23/09/2024

परिपत्र

विषय : ‘राजभाषा पखवाड़ा 2024’ के आयोजन के संबंध में मुख्यालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन।

मुख्यालय से प्राप्त पत्र संख्या ए-49/16/05/2024-रा.भा., दिनांक 03.09.2024 की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया इसे सभी सहकर्मियों/अधीनस्थ कर्मचारियों के ध्यान में लाएं और पत्र में उल्लिखित निदेशों का यथापेक्षित अनुपालन सुनिश्चित करें।

तदनुसार कार्यालय में दिनांक 14-29 सितंबर, 2024 तक ‘राजभाषा पखवाड़ा’ मनाया जाएगा और 30 सितंबर, 2024 को ‘राजभाषा पखवाड़ा समापन समारोह-सह-पुरस्कार वितरण समारोह’ का आयोजन किया जाएगा।

इस दौरान उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम की सभी शाखाओं/अधीनस्थ शाखा कार्यालयों द्वारा उपर्युक्त पत्र के निदेशों के समुचित अनुपालन हेतु निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है-

- प्रत्येक पत्रादि के शीर्ष पर ‘राजभाषा पखवाड़ा 2024’ अवश्य अंकित किया जाए।
- सभी प्रवीणता प्राप्त/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना कार्यालयीन कामकाज (टिप्पण-आलेखन आदि) हिंदी में ही किया जाए।
- अधिकाधिक टिप्पणी, मसौदे, पत्राचार और प्रपत्र जैसे कार्य मूल रूप से हिंदी में किए जाएं।
- सरल हिंदी के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाए।

(डॉ. स्वीटी यादव)
सहायक निदेशक(राजभाषा)

सेवा में,

1. निजी सचिव, उप निदेशक(प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम।
2. सभी अधिकारी/कर्मचारी, उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम।
3. सभी शाखा अधीक्षक, उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम।
4. सभी शाखा प्रबंधक, अधीनस्थ शाखा कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम।
5. वेबसाइट प्रबंधक को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे वेबसाइट पर अपलोड करें।